



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 1 सितम्बर, 2018

भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1869/79-वि-1-18-1(क)-13-18

लखनऊ, 1 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी विधेयक, 2018 पर दिनांक 1 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् की, उसकी अधिकारिता के अधीन विशिष्ट क्षेत्र में उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप पर्यटन के उन्नयन हेतु सांस्कृतिक, अध्यात्मिक, पौराणिक और स्थापत्य संबंधी सौन्दर्यबोध विकसित और अनुरक्षित करने हेतु उक्त विशिष्ट क्षेत्र का सृजन, प्रतिपादन, क्रियान्वयन और विनियमन के निमित्त, स्थापना करने का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् वाराणसी अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 29 जून, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2-(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) "अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता करने और उसकी अनुपस्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करने के लिये राज्य सरकार या आयुक्त द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(ख) "सुख-सुविधाओं" में सड़क, पथ, जल और विद्युत आपूर्ति, पथ प्रकाश, खुले क्षेत्र, पार्क, प्राकृतिक विशिष्टताएं, जल-निकास मल वहन, लोक कार्य तथा अन्य उपयोगिताएं, सेवाएं एवं सुविधाएं सम्मिलित हैं;

(ग) "परिषद" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद से है;

(घ) "भवन" में किसी भी सामग्री से निर्मित कोई संरचना या संरचना का आंशिक भाग सम्मिलित है जो मानव निवास या पशुधन या सम्पत्ति की अभिरक्षा या पूजा सम्पादन स्थल के रूप में या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारबार करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त किया जाना आशयित है;

(ङ.) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(च) "आयुक्त" का तात्पर्य वाराणसी मण्डल के आयुक्त से है;

(छ) अपनी व्याकरणिक भिन्नताओं के साथ "विकास" का तात्पर्य भूमि में, उस पर, उसके ऊपर या उसके अधीन निर्माण, अभियन्त्रण या अन्य क्रियायें करके किसी क्षेत्र के सुनियोजित विकास से है;

(ज) "जिला मजिस्ट्रेट" का तात्पर्य वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से है;

(झ) "पुनर्वास योजना" का तात्पर्य ऐसी किसी योजना से है जिसे ऐसे निवासियों, स्वामियों अधिभोगियों को व्यवस्थित एवं पुनर्वासित करने के उद्देश्य से अनुमोदित नियमावली तथा विनियमावली की अपेक्षानुसार परिषद द्वारा तैयार की जायेगी जिन्हें परिषद द्वारा तैयार की गयी और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित विशिष्ट विकास क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनर्स्थापित किया जाना हो;

(ञ) "विशिष्ट विकास क्षेत्र" का तात्पर्य राजस्व जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश में अवस्थित अधिसूचित सजरा बन्दोबस्त योजना में चिन्हित सीमाओं के अधीन अधिसूचित विशिष्ट विकास क्षेत्र से है जिसमें निम्नलिखित वार्ड हैं:-

क्र०सं०	वार्ड का नाम	वार्ड विस्तार
1	दशाश्वमेध	डी-1 लाहौरीटोला डी-2 धर्मकूप डी-3 मीरघाट डी-5 त्रिपुरभैरवी (अंश) डी-6 रानीभवानीगली डी-7 शकरकंदगली डी-8 कालिकागली डी-10 साक्षीगली डी-11 कोतवालपुरा

क्र०सं०	वार्ड का नाम	वार्ड विस्तार
2	गढ़वासीटोला	सी.के.-1 पठानीटोला सी.के.-9 मणिकर्णिका सी.के.-10 ब्रम्हनाल सी.के.-28 पंचपाण्डवा सी.के.-31 ज्ञानवापी सी.के.-34 लाहोरीटोला

अथवा

ऐसे क्षेत्रों से है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय;

(ट) "अंतरिती" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे कोई सम्पत्ति परिषद द्वारा यथाविहित प्रयोजनार्थ अन्तरित की गयी हो या की जा रही हो;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं।

3-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक परिषद स्थापित करेगी जिसे श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा समनुदेशित कृत्यों का निष्पादन करेगी।

परिषद की -
स्थापना

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिषद का मुख्यालय वाराणसी में होगा।

4-(एक) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति- अध्यक्ष

परिषद की
संरचना

(दो) मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सदस्य सचिव

(तीन) जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी-सदस्य

(चार) अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सदस्य

(पांच) उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी-सदस्य

(छः) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी-सदस्य

(सात) नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी-सदस्य

(आठ) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी- सदस्य

(नौ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी-सदस्य

(दस) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी-सदस्य

(ग्यारह) अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, वाराणसी-सदस्य

(बारह) अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी-सदस्य

(तेरह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग अथवा उसका नाम- निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो-सदस्य (पदेन)

(चौदह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अथवा उसका नाम- निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो-सदस्य (पदेन)

(पन्द्रह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, धर्मार्थ कार्य विभाग, अथवा उसका नाम-निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो-सदस्य (पदेन)

(सोलह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नाम-निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो-सदस्य (पदेन)

(सत्रह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग या उसका नाम-निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो-सदस्य (पदेन)

(अट्ठारह) अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले तीन ऐसे व्यक्ति, जो कला, वास्तुकला, संस्कृति, इतिहास या साहित्य में अनुभवी हो-सदस्य

2-अध्यक्ष एवं पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे;

3-परिषद के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि के विद्यमान होने के कारण परिषद की कोई कार्यवाहियां या प्रक्रिया अविधिमान्य नहीं होगी।

परिषद के
कर्मचारिवृंद

5-(1) परिषद के पास अपने कार्यालय एवं दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन के लिये स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारिवृंद होगा;

(2) परिषद, राज्य सरकार के अनुमोदन से परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन कर सकती है;

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कर्मचारिवृंद के वेतन एवं भत्तों सहित सेवा की निबन्धन एवं शर्तों का अंतिम रूप, राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रदान किया जायेगा;

(4) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ परिषद, राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवायें अधियाचित कर सकती है;

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारिवृंद, अध्यक्ष, जो नियुक्ति प्राधिकारी होगा, के प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक नियंत्रण में होगा किन्तु वे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

परिषद की
शक्तियाँ और
कृत्य

6-(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, परिषद का कार्यपालक प्रमुख होगा जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य करेगा और आदेश पारित करेगा;

(2) (क) परिषद यथाशक्य शीघ्र विशिष्ट विकास क्षेत्र के लिये एक योजना तैयार करेगी;

(एक) उक्त योजना में विभिन्न क्षेत्र परिभाषित होंगे जिसमें ऐसे क्षेत्रों में विकास के प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रत्येक क्षेत्र की भूमि और किये जाने वाले विकास के प्रक्रम उपदर्शित हो सकते हैं; उक्त क्षेत्र मूल ढांचा कार्य पद्धति के रूप में कार्य कर सकते हैं जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों की विकास संबंधी योजनायें तैयार की जा सकती है;

(दो) उक्त योजना में ऐसे क्षेत्र के समुचित विकास के लिये आवश्यक किसी अन्य मामले का उपबंध हो सकता है;

(ख) परिषद यथा अपेक्षित पुनर्वास योजना तैयार करेगी और उसे विशिष्ट विकास क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनः स्थापित किये जाने वाले निवासियों, स्वामियों या अधिभोगियों को व्यवस्थापित करने तथा पुनर्वासित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित करायेगी;

(ग) परिषद अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाली विरासत को संरक्षित करने की दीर्घकालिक योजना तैयार करेगी और उसे निष्पादित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि परिवेश, राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् सजरा बन्दोबस्त योजना के अनुसार है;

(3) राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अध्यक्षीन परिषद, पारस्परिक वार्ता, क्रय, दान, अन्तरण, पट्टा, किराया या अन्यथा के माध्यम से किसी भवन या भूमि का अर्जन कर सकती है। वह तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार किसी भूमि, भवनों को भी अर्जित कर सकती है और स्थानीय समाचार-पत्र/गजट में ऐसे व्यक्तियों को अपना दावा प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करायेगी जिनके पास ऐसी सम्पत्ति के लिये दावा या हित हों;

(4) राज्य सरकार, ऐसे निबंधन एवं शर्तों द्वारा, जैसा कि वह उचित समझे, अपने नियंत्रणाधीन या किसी स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन कोई भूमि परिषद में निहित कर सकती है;

(5) परिषद राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नीलामी, आवंटन या अन्यथा द्वारा परिषद से संबंधित किसी भूमि या भवन का ऐसी रीति से और ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर जैसा कि विहित किया जाय, विक्रय कर सकती है, पट्टा कर सकती है, किराये पर दे सकती है या अन्यथा अन्तरित कर सकती है;

(6) परिषद ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी शर्तों पर ऐसी अवधि के लिये, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय, लाइसेंस नवीकृत कर सकती है और विशिष्ट विकास क्षेत्र में कोई व्यवसाय या व्यापार कर सकती है;

(7) विशिष्ट विकास क्षेत्र के समुचित नियोजन और विकास के प्रयोजनों के लिये परिषद ऐसे निदेश, जिन्हें वह उचित समझे, निम्नलिखित के संबंध में जारी कर सकती है,—

(क) विनियमावली का उल्लंघन किये जाने पर किसी भवन के परिनिर्माण या अधिभोग पर प्रतिबंध;

(ख) किसी भवन की ऊंचाई या अग्रभाग के स्थापत्य संबंधी विशेषताओं का संरक्षण;

(ग) किसी कार्य स्थल पर भवनों का अभिन्यास एवं संरेखण;

(घ) भवनों में और उनके चारों ओर अनुरक्षित किये जाने वाले खुले स्थानों तथा भवनों की ऊंचाई और उनके स्वरूप से संबंधित निबंधन एवं शर्तें;

(ङ) ऐसे आवासीय भवनों की संख्या जो किसी स्थल पर परिनिर्मित किये जा सकते हैं;

(च) दुकानों, कार्यशालाओं, गोदामों, कारखानों या भवनों के परिनिर्माण;

(छ) दीवारों, बाड़ों झाड़ियों या किसी अन्य संरचना या स्थापत्य निर्माणों की ऊंचाई व स्थिति का अनुरक्षण;

(ज) सुख-सुविधाओं का अनुरक्षण;

(झ) जिस प्रयोजन के लिये स्थल आवंटित किया गया हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु किसी स्थल के प्रयोग का निबंधन;

(ञ) समुचित (एक) अपशिष्ट जल निकासी (दो) अपशिष्ट निपटान और (तीन) नगर कचरा निपटान हेतु उपबंधित किये जाने वाले साधन;

(ट) भवनों के बाहरी और विभाजक, दीवारों, छतों, फर्शों एवं अन्य भागों, उनकी स्थिति या अवस्थिति या निर्माण पद्धति हेतु प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियाँ ;

(ठ) योजनायें प्रस्तुत किये जाने के लिये आवश्यक एवं आनुषंगिक प्रमाण-पत्र, संशोधित योजनायें एवं समापन और/या अधिभोग प्रमाण-पत्र।

स्थल या भवन के
समुचित अनुरक्षण
को विनियमित
करने की शक्ति

7-यदि परिषद को यह प्रतीत होता है कि किसी स्थल या भवन की दशा या उसके उपयोग से विशिष्ट विकास क्षेत्र के किसी भाग में सुख सुविधाओं के समुचित नियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ना सम्भावित है तो वह उस स्थल या भवन के अंतरिती, अधिभोगी या स्वामी को उससे यह अपेक्षा करते हुए नोटिस तामिल कर सकती है कि वह ऐसे उपाय ऐसी अवधि में करें जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय और तत्पश्चात् इसे ऐसी रीति से अनुरक्षित रखे जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय और यदि ऐसा अन्तरिती, अधिभोगी या स्वामी ऐसे उपाय करने में या तत्पश्चात् इसका अनुरक्षण करने में विफल हो जाय तो परिषद स्वयं उसका समुचित अनुरक्षण करने हेतु उपाय कर सकती है और इस पर उपगत लागत ऐसे अंतरिती, अधिभोगी या स्वामी से वसूल सकती है।

कर एवं सेवा
प्रभारों का
उदग्रहण

8-(1) विशिष्ट विकास क्षेत्र में सुख सुविधायें प्रदान करने, अनुरक्षित करने या जारी रखने के प्रयोजनों के लिये, परिषद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी स्थल या भवन के संबंध में उसके अंतरिती या अधिभोगी से ऐसा कर या सेवा शुल्क अधिग्रहीत कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु यह कि ऐसा कुल कर भार, ऐसे स्थल या भवन के वार्षिक मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद 'वार्षिक मूल्य' का वही अर्थ होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 174 में उपबध्दित है;

(2) यदि परिषद लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे किसी अंतरिती या अधिभोगी या उसके किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन उदग्रहीत कर से पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट प्रदान कर सकती है।

शास्ति

9-(1) जहाँ कोई अंतरिती, किसी प्रतिफल एवं धनराशि या उसके किस्त अथवा परिषद द्वारा किसी स्थल या भवन के अंतरण के कारण किसी अन्य देय धनराशि या किसी पट्टे के संबंध में परिषद के प्रति देय किसी किराये के संदाय में कोई त्रुटि करता है अथवा जहाँ कोई अंतरिती, अधिभोगी या स्वामी इस अधिनियम के अधीन उदग्रहीत किसी फीस या कर के संदाय में कोई त्रुटि करता है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी यथास्थिति बकाया धनराशि के अतिरिक्त अंतरिती, अधिभोगी या स्वामी से वसूल की जाने वाली धनराशि से अनधिक धनराशि का शास्ति अधिरोपित कर सकती है;

(2) परिषद द्वारा किसी स्थल या भवन का अंतरण किये जाने के कारण प्रतिफल धनराशि या उसकी किसी किस्त का संदाय न किये जाने की स्थिति में अथवा ऐसे अंतरण की किसी शर्त का किसी प्रकार का उल्लंघन या इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या इस प्रकार अंतरित स्थल या भवन के किसी उपबंध का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में तत्संबंध में सदत्त सम्पूर्ण या आंशिक धनराशि, यदि कोई हो, अग्रतर समपद्धत हो सकती है;

(3) जहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी स्थल या भवन की अध्यपेक्षा के लिये आदेश करता है वहाँ कलेक्टर उसकी अध्यपेक्षा पर उसका कब्जा उसे प्रदान करा सकता है और उस प्रयोजन हेतु वह ऐसा बल प्रयोग कर सकता है या करने दे सकता है जैसा कि आवश्यक हों।

10—(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी खुले परिसर में सहायता के साथ या उसके बिना निम्न प्रयोजनों के लिये प्रवेश कर सकता है:—

भवन या भूमि का निरीक्षण करने और उसमें प्रवेश करने की शक्ति

(क) कोई पूछताछ, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करना या ऐसी भूमि या भवन के स्तर लेना;

(ख) निर्माणाधीन कार्यों का परीक्षण करना या मार्ग या मलनालियों या नालियों को अभिनिश्चित करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि क्या कोई भवन स्वीकृति के बिना या इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के अधीन दिये गये किसी अनुमोदन के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जा रहा है या परिनिर्मित किया गया है और ऐसे उपाय करना तथा ऐसे अन्य कार्य करना जैसा कि प्रत्येक प्रयोजन के लिये आवश्यक हों;

(घ) इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिये आवश्यक कोई अन्य कार्य करना;

परन्तु यह कि:—

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के समयों के मध्य के सिवाय और अधिभोगी या यदि अधिभोगी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की जायेगी;

(दो) ऐसी भूमि या भवन से प्रत्याहृत हो जाने के लिये महिलाओं, यदि कोई हो, को समर्थ बनाने के लिये प्रत्येक दृष्टांत में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जायेगा;

(तीन) जहाँ तक प्रवेश के प्रयोजन की अत्यावश्यकताएँ, भूमि या भवन के अधिभोगियों में प्रविष्टि सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं के अनुरूप हो वहाँ तक सदैव सम्यक् रूप से ध्यान दिया जायेगा;

(2) ऐसी भूमि या भवन में निवास करने वाले या उक्त भूमि या भवन के किसी प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति की मांग पर उसे स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने देगा और उपधारा (1) में यथा उल्लिखित पूछताछ, निरीक्षण, माप, सर्वेक्षण या परीक्षण या अन्य गतिविधियों के लिये समस्त युक्तियुक्त सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा।

11—परिषद की अपनी ऐसी निधि होगी और उसे वह अनुरक्षित रखेगी जिसमें निधि निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेंगी:—

(क) परिषद द्वारा राज्य सरकार से अनुदानों, ऋणों, अग्रिमों या अन्यथा के माध्यम से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ख) परिषद द्वारा राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों से ऋणों या डिबेंचरों के माध्यम से उधार ली गयी समस्त धनराशि;

(ग) इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा प्राप्त समस्त फीस, पथकर और प्रभार;

(घ) परिषद द्वारा भूमियों, भवनों और अन्य जंगम और स्थावर संपत्तियों के निस्तारण से प्राप्त समस्त धनराशि; तथा

(ङ) परिषद द्वारा किरायों और लाभों के माध्यम से या किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(घ) पूर्वगामी खण्डों के अधीन निधियों के अतिरिक्त, परिषद के पास ऐसे राजस्व स्रोतों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय, के माध्यम से अपनी निधियों में वृद्धि करने की शक्तियां होंगी;

2-इस अधिनियम के प्रशासन में परिषद द्वारा उपगत व्ययों को पूरा करने हेतु निधि का उपयोग किया जायेगा;

3-राज्य सरकार के किन्हीं निर्देशों के अध्यक्षीन, परिषद किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाता में अपनी निधियों में से ऐसी धनराशि, जैसा कि वह अपनी प्रत्याशित चालू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक समझे, रख सकती है और किसी अधिशेष धनराशि का इस रीति से विनिधान कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे।

आय-व्ययक
और लेखा

12-(1) परिषद अगले आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में परिषद की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शाते हुए अपना आय-व्ययक तैयार करेगी और इसे राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित करायेगी;

(2) परिषद समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख अनुरक्षित करेगी और यथा विहित प्रपत्र में तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी,

(3) परिषद के खाते, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा वार्षिक लेखा-परीक्षा किये जाने को अध्यक्षीन होंगे।

नियम बनाने की
शक्ति

13-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विनियम बनाने
की शक्ति

14-परिषद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे विनियम बना सकती है जैसा कि इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन बनाने के लिए अपेक्षित हों।

निर्देश जारी
करने की शक्ति

15-(1) राज्य सरकार के पास निर्देश जारी करने की शक्ति होगी और परिषद, अधिनियम के दक्ष, प्रशासन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होगी।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में या उसके संबंध में परिषद और राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

प्रत्यायोजन की
शक्ति

16-(1) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति के सिवाय उसके द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति का प्रयोग, ऐसे अधिकारियों या परिषद द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो उसमें विनिर्दिष्ट हों, के अध्यक्षीन किया जा सकता है;

(2) परिषद, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विनियम या उपविधियां बनाने की शक्ति के सिवाय उसके द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति का प्रयोग, ऐसे अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो उसमें विनिर्दिष्ट हों, के अध्यक्षीन किया जा सकता है;

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसे निर्बंधनों, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश से अधिरोपित किया जाय, के अध्यक्षीन अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, किसी लिखित आदेश द्वारा परिषद के किसी अधीनस्थ अधिकारी को इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन यथास्थिति परिषद या अध्यक्ष द्वारा प्रयोक्तव्य समस्त या किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

17-राज्य सरकार किसी भी समय स्वप्रेरणा से या इस निमित्त इस हेतु किये गये किसी आवेदन के आधार पर कोई अभिलेख मंगा सकती है और इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य का निष्पादन करने हेतु परिषद या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी मामले या आदेश के संबंध में किसी आदेश की विधिमान्यता या औचित्य पर स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ तत्संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकती है या ऐसा निदेश जारी कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे :

राज्य सरकार
की अभिलेख
मगाने की
शक्ति

“परन्तु यह कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना ऐसे व्यक्ति के प्रतिकूल आदेश पारित नहीं करेगी।”

18-परिषद, प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार, को ऐसे प्रारूप में और ऐसे दिनांक को या उस दिनांक के पूर्व जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

19-इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुये भी राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों, के अधीन किसी भूमि या भवन या भूमियों या भवन या भवनों के वर्ग को इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के समस्त या किसी उपबंध से छूट प्रदान कर सकती है।

छूट

20-(1) कोई भी व्यक्ति तैयार की गयी किसी योजना या परिषद या किसी अधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के उल्लंघन में विशिष्ट विकास क्षेत्र में किसी भूमि, स्थल परिसर या भवन का उपयोग नहीं करेगा या न करने देगा;

अपराध

(2) जो कोई परिषद या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के निदेश या आदेश का अनुपालन करने में विफल रहेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी योजना या निदेश के उल्लंघन में कोई कृत्य करेगा या चूक करेगा उसे कारावास जो एक वर्ष तक हो सकता है, या अन्यून एक हजार रुपये के जुर्माना या दोनों के साथ दण्डित किया जायेगा।

21-(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के कारबार के संचालनार्थ कम्पनी का प्रभारी था तथा उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही साथ कम्पनी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और प्रतिकूल कार्यवाही किये जाने तथा तदनुसार दण्डित किये जाने के लिये दायी होंगे :

कम्पनियों द्वारा
अपराध

परन्तु यह कि इस उप-धारा में अंतर्विष्ट किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड के लिये दायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसा अपराध किये जाने से रोकने के लिये समस्त सम्यक् प्रयास किया था;

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक सचिव या कम्पनी के अन्य अधिकारी की सहमति या मौन सहमति से किया गया है या उनकी ओर से किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और वे प्रतिकूल कार्यवाही किये जाने तथा तदनुसार दंडित किये जाने के दायी होंगे।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनार्थ:

(क) कम्पनी का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसमें कोई फर्म या अन्य व्यक्ति-संगम सम्मिलित हैं; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में निदेशक का तात्पर्य फर्म में किसी भागीदार से है।

अपराधों का
संज्ञान

22-(1) कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन, इस निमित्त परिषद द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित में की गयी शिकायत के सिवाय किन्हीं अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा;

(2) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का विचारण, ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जायेगा जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट न्यायालय से अवर न हो।

अपराधों का
प्रशमन

23-(1) इस अधिनियम द्वारा या तदधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् मुख्य कार्यपालक अधिकारी या तदनिमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से प्रशमन फीस के संदाय से सम्बन्धित किसी निबंधन सहित ऐसे निबंधनों, जैसा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसा अधिकारी उचित समझे, पर किया जायेगा;

(2) जहां किसी अपराध का प्रशमन किया गया हो वहाँ अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो को उन्मोचित कर दिया जाएगा और प्रशमित अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई अग्रतर कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

सदस्य और
अधिकारी लोक
सेवक होंगे

24-परिषद का अध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य और उसके प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थात्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

अभियोजन की
स्वीकृति

25-इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के सिवाय कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

आदेशों और
दस्तावेजों का
अधिप्रमाणन

26-परिषद की समस्त अनुज्ञाएं, आदेश, विनिश्चय, नोटिस और अन्य दस्तावेज मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

वाद और अन्य
कार्यवाहियां

27-किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां ऐसी किसी बात के लिए नहीं होंगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी किसी नियमावली या विनियमावली के अधीन सद्भावना पूर्वक की जाय या की जानी आशयित हो।

सदस्यों और
अध्यक्ष का
कार्यकाल

28-परिषद के अध्यक्ष और परिषद के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा :

परन्तु यह कि परिषद का अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने कार्यकाल के समाप्त होते हुए भी तब तक पद धारण करता रहेगा/रहेगी जब तक उसका/उसकी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारिणी पद धारण नहीं कर लेता/लेती है।

परिषद का
विघटन

29-(1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के अधीन स्थापित परिषद के उद्देश्यों की मौलिक रूप से प्राप्ति हो गयी है जिससे राज्य सरकार की राय में परिषद का निरन्तर अस्तित्व बना रहना अनावश्यक हो गया है वहां राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद को अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से विघटित कर दिया जायेगा और तदनुसार परिषद विघटित किया गया समझा जायेगा;

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक से,

(क) परिषद में निहित और उसके द्वारा निर्मोचनीय समस्त संपत्तियां, निधियां और देय, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे या उसके भरोसेमंद हो जायेंगे;

(ख) परिषद के निरस्तारण पर रखी गयी समस्त भूमियाँ, राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जाएंगी;

(ग) परिषद के सापेक्ष प्रवर्तनीय समस्त दायित्व, राज्य सरकार के सापेक्ष प्रवर्तनीय हो जायेंगे;

(3) परिषद द्वारा सम्यक रूप से क्रियान्वित न किये गये किसी विकास को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ और उपधारा (दो) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देयों को उन्मोचित करने के प्रयोजनार्थ परिषद के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

30—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम से असंगत न हों जैसा कि उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

31—अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य की किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी लागू होंगे।

अध्यारोही प्रभाव

निरसन और अपवाद

32. (1) श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् वाराणसी अध्यादेश, 2018 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2018

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य एवं कारण

जिला वाराणसी में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान शंकर के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है जिसके कारण यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। यह पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में भी उत्तर प्रदेश राज्य का एक विशिष्ट स्थल है। इससे सम्बंधित क्षेत्रों के पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए गंगा नदी से मंदिर प्रक्षेत्र तक के सम्पर्क मार्गों और संबंधित प्रमुख मार्गों का विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण करने तथा विद्यमान प्राचीन मंदिरों की जीवंतता को अक्षुण्ण बनाये रखने, उनकी जीर्णोद्धारपरक सुदृढ़ता विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गयी है। मानचित्र में चिन्हित उपलब्ध क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों, श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों की निरन्तर विद्यमानता बनाये रखने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि गुणवत्तापरक अवसंरचनात्मक विकास को पूरा करके उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् वाराणसी की, उसकी अधिकारिता के अधीन विशिष्ट क्षेत्र में उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप पर्यटन के उन्नयन हेतु सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पौराणिक और स्थापत्य संबंधी सौन्दर्यबोध विकसित और अनुरक्षित करने हेतु उक्त विशिष्ट क्षेत्र का सृजन, प्रतिपादन, क्रियान्वयन और विनियमन के निमित्त, स्थापना करने का उपबन्ध करने के लिए एक विधि बनायी जाय।

चूंकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं था और ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 जून, 2018 को श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2018) प्राख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1869(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)-13-18

Dated Lucknow, September 1, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Shri Kashi Vishwanath Vishisht Kshetra Vikas Parishad, Varanasi Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 31 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 1, 2018.

SHRI KASHI VISHWANATH SPECIAL AREA DEVELOPMENT BOARD

VARANASI ACT, 2018

(U.P. Act no. 31 of 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the establishment of Shri Kashi Vishwanath Special Area Development Board to create, formulate, implement, regulate and maintain the Special Area under its jurisdiction for developing and maintaining the cultural, spiritual, mythological and architectural aesthetics in such area to promote tourism in consonance with the rich cultural heritage thereof.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called Shri Kashi Vishwanath Special Area Development Board Varanasi Act, 2018.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 29, 2018.

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Additional Chief Executive Officer" means the Additional Chief Executive officer to be appointed by the State Government or the Commissioner to assist the Chief Executive Officer and to perform the responsibility of the Chief Executive Officer in his absence;

(b) "Amenities" includes roads and streets, water and electric supply, street lighting, open spaces, parks, natural features, drainage sewerage, public works and other utilities, services and conveniences;

(c) "Board" means Shri Kashi Vishwanath-Special Area Development Board established under section 3;

(d) "Building" includes any structure or part of a structure constructed with whatever material, which is used or intended to be used as a place for, human dwelling, or custody of livestock or property or performance of worship or for carrying on any occupation, trade or business ;

(e) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer appointed by the State Government ;

(f) "Commissioner" means the Commissioner of Varanasi division;

(g) "Development" with its grammatical variations means the planned development of any area by carrying out building, engineering or other operations in, on, over or under land or making any material change in any building or land in such area;

(h) "District Magistrate" means the District Magistrate of Varanasi;

(i) "Rehabilitation plan" means a plan which shall be prepared by the Board, as may be required according to approved rules and regulations, in order to settle and rehabilitate residents, owners, occupants who are to be relocated for implementation of development plan for the Special Development Area, as prepared by the Board and approved by the State Government;

(j) "Special Development Area" means the Special Development Area notified under the marked boundaries in the notified sajra bandobast plan located in revenue district Varanasi, Uttar Pradesh having following wards :-

Sl. No.	Name of Ward	Extension of Ward
1.	Dashashwamedh	D - 1 Lahori Tola D - 2 Dharmkoop

Sl. No.	Name of Ward	Extension of Ward
		D - 3 Meerghaat D - 5 Tripura Bhairvi (Ansh) D - 6 Rani Bhawani Gali D - 7 Shakarkand Gali D - 8 Kaalika Gali D - 10 Saakshi Gali D - 11 Kotwalpura
2.	Garhwaasi Tola	CK - 1 Pathaani Tola CK - 9 Manikarnika CK - 10 Brahmaal CK - 28 Paanch Pandwa CK - 31 Gyaanwaapi CK - 34 Lahori Tola

or such areas as may be notified by the State Government from time to time ;

(k) "Transferee" means a person to whom any property is or being transferred to him by the Board for such purpose as may be prescribed.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

3. (1) The State Government shall by notification, establish a 'Board' to be Known as Shri Kashi Vishwanath Special Area Development Board Varanasi to exercise the powers conferred and perform the functions assigned to it under this Act.

Establishment of
the Board

(2) The Board shall be a body corporate.

(3) The Head Quarter of the Board shall be at Varanasi.

4. (i) A person to be appointed by the State Government- Chairperson

Composition of
Board

(ii) The Chief Executive Officer- Member Secretary

(iii) The District Magistrate, Varanasi- Member

(iv) Additional Chief Executive Officer-Member

(v) Vice Chairman, Varanasi Development Authority, Varanasi- Member

(vi) Senior Superintendent of Police, Varanasi- Member

(vii) Nagar Aayukt, Nagar Nigam Varanasi- Member

(viii) Chief/ Senior Treasury Officer, Varanasi- Member

(ix) Chief Medical Officer, Varanasi- Member

(x) Superintending Engineer, PWD. Varanasi- Member

(xi) Superintending Engineer, Jal Nigam, Varanasi- Member

(xii) Superintending Engineer, Purvanchal Vidhyut Vitaran Nigam Ltd., Varanasi- Member

(xiii) The Secretary, to the Government of Uttar Pradesh, Housing Department or his nominee not below the rank of Special Secretary- Member (ex-officio)

(xiv) The Secretary, to Government of Uttar Pradesh, Tourism Department or his nominee not below the rank of Special Secretary- Member (ex-officio)

(xv) The Secretary to the Government, of Uttar Pradesh, Religious Affairs Department or his nominee not below the rank of Special Secretary - Member (ex-officio)

(xvi) The Secretary to the Government, of Uttar Pradesh, Finance Department or his nominee not below the rank of Special Secretary-Member (ex-officio)

(xvii) The Secretary to the Government, of Uttar Pradesh, Urban Development Department or his nominee not below the rank of Special Secretary-Member (ex-officio)

(xviii) Three persons, to be nominated by the State Government in consultation with the Chairperson, who shall be experienced in art, architecture, culture, history or literature – Member.

(2) The Chairperson and the Members other than ex-officio Members shall hold office at the pleasure of State Government.

(3) No actions or proceeding of the Board shall be invalid by reason of the existence of any vacancy in, or defect in the Constitution of the Board.

The Staff of the
Board

5. (1) The Board shall have such permanent and temporary staff to run its office and day to day work;

(2) The Board may, with the approval of State Government, create posts of the officers and employees of the Board;

(3) The terms and conditions of the service including salaries and allowances of the staff appointed under sub-section (1) shall be finalized with the approval of the State Government;

(4) For the purpose of carrying out its functions under this Act the Board may requisite the services of any officer or employee with the approval of the State Government;

(5) Staff referred in sub-section (1) shall be under the administrative and disciplinary control of the chairperson, who will be the appointing Authority but perform their duties under the direct control of the Chief Executive officer.

Power and functions
of the Board

6. (1) The Chief Executive officer will be the executive head of the Board who will act and pass orders in accordance with the provisions of this Act or the rules and regulations made under this Act;

(2) (a) The Board shall, as soon as may be, prepare a plan for the Special Development Area :-

(i) The plan shall define various sectors into which such area may for the purposes of development indicate the land in each sector which is proposed to be used and the stages by which any development shall be carried out; serve as a basic pattern of frame-work, within which the development plans for various sectors may be prepared;

(ii) The plan may provide for any other matter necessary for the proper development of such area;

(b) The Board shall prepare a plan to rehabilitate, as may be required, and get it approved by the State Government in order to settle and rehabilitate residents, owners or occupants; who are to be relocated, for implementation of development plan for the Special Development Area;

(c) The Board shall make and execute a long-term plan to conserve the heritage that falls under its jurisdiction and shall ensure that the surrounding are according to the Sajra bandobast Plan after due approval of the State Government.

(3) (i) Subject to the directions given by the State Government, the Board may acquire any building or land through mutual negotiations, purchase, donation, transfer, lease, rent or otherwise. It may also acquire any land, buildings in accordance with the provisions of law for the time being in force and shall publish a public notice in the local newspaper/Gazette inviting persons who may have any claim or interest in such property, to file their claim ;

(4) The State Government may vest any land to the Board, whether under its control or under the control of any local body by such terms and conditions as it may deem fit ;

(5) The Board may sell, lease, rent or otherwise transfer whether by auction, allotment or otherwise any land or building belonging to the Board in the Special Development Area with the prior approval of the State Government in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed;

(6) The Board may on payment of such fees and on such conditions grant renew license for such period as may be prescribed by regulations and renew to carry out any profession or trade in the Special Development Area;

(7) For the purposes of proper planning and development of the Special Development Area, the Board may issue such directions as it may consider necessary, regarding,-

(a) ban on erection or occupation of any building in contravention of regulations;

(b) protection of architectural features of the elevation or frontage of any building;

(c) layout and alignment of buildings on any site;

(d) restrictions and conditions in regard to open spaces to be maintained in and around buildings and height and character of buildings;

(e) number of residential buildings that may be erected on any site;

(f) erections of shops, workshops, warehouses, factories or buildings;

(g) maintenance of height and position of walls, fences, hedges or any other structure or architecture constructions;

(h) maintenance of amenities;

(i) restrictions of use of any site for a purpose other than that for which it has been allocated;

(j) the means to be provided for proper (i) drainage of waste water (ii) disposal of waste, and (iii) disposal of town refuse;

(k) the materials to be used for external and partition walls, roofs, floors and other parts of buildings and their position or location or the method of construction;

(l) the certificates necessary and incidental to the submission of plans, amended plans and completion and /or occupancy certificates.

7. If it appears to the Board that the condition or use of any site or building is prejudicially affecting or is likely to affect the proper planning of the amenities in any part of the Special Development Area, it may serve a notice on the transferee, occupier or owner of that site or building requiring him /her to take such steps and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain it in such manner as may be specified therein and in case such transferee, occupier or owner fails to take such steps or to maintain it thereafter, the Board may itself take steps for proper maintenance thereof and realize the cost incurred on it from such transferee, occupier or owner.

Power to regulate proper maintenance of site or building

8. (1) For the purposes of providing, maintaining, or continuing amenities in the Special Development Area, the Board may with the prior approval of the State Government, levy such taxes or service fee as it may consider necessary in respect of any site or building on the transferee or occupier thereof :

Levy of taxes and service charges

Provided that the total incidence of such tax shall not exceed twenty-five per cent of the annual value of such site or building.

*Explanation:—*For the purposes of this section, the expression 'annual value' shall have the same meaning as provided in Section 174 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959;

(2) If the Board considers it necessary or expedient in the public interest it may, by a general or special order, exempt wholly or partly – any such transferee or occupier or any class thereof from the taxes levied under sub-section (1).

Penalty

9. (1) Where a transferee makes any default in the payment of any consideration and money or installment thereof or any other amount due on account of the transfer of any site or building by the Board or any rent due to the Board in respect of any lease, or where any transferee, occupier or owner makes any default in the payment of any fee or tax levied under this Act, the Chief Executive Officer may impose penalty of a sum not exceeding the amount to be recovered from the transferee, occupier or owner in addition to the amount of arrears, as the case may be.

(2) In the case of non-payment of consideration money or any installment thereof on account of the transfer by the Board of any site or building or in case of any breach of any condition of such transfer or breach of any provision of this Act or the rules made there under or the site or building so transferred and may further forfeit the whole or any part of the money, if any, paid in respect thereof.

(3) Where the Chief Executive Officer orders to require any site or building, the Collector may on his requisition, cause possession thereof to be delivered to him and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

Power to inspect and enter into the building or land

10. (1) The Chief Executive Officer or any person authorized by him may enter into any open premises or building with or without assistance, for the purposes of:-

(a) making any inquiry, inspection, measurement or survey or taking levels of such land or building;

(b) examining works under construction or of ascertaining the course or sewers or drains;

(c) ascertaining whether any building is being or has been erected or re-erected without sanction or in contravention of any sanction given under this Act or the rules and regulations made there under and to take such measurements and do any such other acts as may be necessary for each purpose;

(d) doing any other thing necessary for the efficient administration of this Act;

Provided that;

(i) no such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset and without giving reasonable notice to the occupier or if there be not occupier, the owner of the land or building;

(ii) sufficient opportunity shall in every instance, be given to enable women if any to withdraw from such land or building;

(iii) due regard shall always be had, so far as may be compatible with the exigencies of the purpose for which the entry is made, to the social and religious usages of the occupants of the land or building entered.

(2) Any person, residing in or being in charge of such land or building shall on demand of such officer or other person allow him free ingress their to and afford all reasonable facility for such inquire, inspection, measurement, survey or examination or other activities as mentioned in sub-section-1.

Fund

11. The Board shall have and maintain its fund to which shall be credited,-

(a) all moneys received by the Board from the State Government by way of grants, loans advances or otherwise;

(b) all moneys borrowed by the Board from sources other than the State Government by way of loans or debentures;

(c) all fees, tolls and charges received by the Board under this Act;

(d) all moneys received by the Board from the disposal of lands, buildings and other movable and immovable properties; and

(e) all moneys received by the Board by way of rents and profits or in any other manner or from any other sources;

(f) in addition to the funds under foregoing clauses the Board shall have the powers to raise its own funds through such revenue sources as may be approved by the State Government;

(2) The fund shall be utilized towards meeting the expenses incurred by the Board in the administration of this Act.

(3) Subject to any directions of the State Government, the Board may keep in current account of any Scheduled Bank such sum of money out of its funds as it may think necessary for meeting its expected current requirements and invest any surplus money in such manner as it thinks fit.

12. (1) The Board shall prepare its budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure of the Board and get it duly approved by the State Government.

Budget and
Accounts

(2) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annual statement of accounts including the balance-sheet in such form as may be prescribed.

(3) The accounts of the Board shall be subject to audit annually by the examiner, Local Fund Accounts.

13. The State Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make
rules

14. The Board may with the prior approval of the State Government make such regulations as are required to make under this Act or the rules framed there under.

Power to make
regulations

15. (1) The State Government shall have power to issue directions and the Board shall be bound to carry out such directions from time to time for the efficient administration of the Act.

Power to issue
directions

(2) If in, or in connection with, the exercise of its powers and discharge of its functions by the Board under this Act any dispute arises between the Board and the State Government the decision of the State Government, on such dispute shall be final.

16. (1) The State Government may by general or special order, direct that any power exercisable by it under this Act except the power to make rules, may also be exercised by such officers or the Board in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified therein;

Power to delegate

(2) The Board may, by general or special order direct that any power exercisable by it under this Act except the power to make regulations or bye-laws, may also be exercised by such officer or local Authority, in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified therein;

(3) Subject to the provisions of this Act and to such restrictions, as may be imposed by the State Government by a general or special order, the Chairperson and the Chief Executive Officer may, by an order in writing, delegate, any officer subordinate to the Board all or any powers exercisable by the Board or the Chairperson, as the case may be, under this Act, or the rules made there under.

17. The State Government may, at any time either on its own motion or on application made to it in this behalf call for any record and may in case or an order passed by the Board or any officer authorized by it to perform any function under this Act for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order, pass such order or issue such direction in relation thereto as it may think fit :

Power of the State
Government to
call for records

Provided that the State Government shall not pass an order prejudicial to any person without affording such person a reasonable opportunity of being heard.

18. The Board shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit it to the State Government in such form and on or before such date as may be prescribed.

Annual Report

19. Notwithstanding anything contained in this Act the State Government may by notification in the *Gazette*, exempt, subject to such conditions and restrictions, if any, as may be specified in such notification any land or building or class of lands or building or buildings from all or any of the provisions of this Act or rules or the regulations made there under.

Exemption

Offences	<p>20.(1) No person shall use or permit to be used any land, site, premises or building in special development area in contravention of any plan prepared or direction by the Board or any officer.</p> <p>(2) Whoever fails to comply the direction or order of the Board or any person authorized by it or does any act or <i>omission</i> in violation of any plan or direction referred to in sub-section (1) shall be punished with imprisonment of one year or with fine which shall not be less than one thousand rupees or with both.</p>
Offences by companies	<p>21. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, every person, who, at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:</p> <p>Provided that nothing contained in this Sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent commission of such offence;</p> <p>(2) Notwithstanding anything contained in Sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance, of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.</p> <p><i>Explanation:—</i>For the purposes of this section;—</p> <p>(a) 'company' means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and</p> <p>(b) 'director' in relation to a firm means a partner in the firm.</p>
Cognizance of offences	<p>22. (1) No court shall take cognizance of any offences under this Act except on a complaint in writing made under the signature of an officer duly authorized by the Board in this behalf.</p> <p>(2) offences punishable under this Act shall be tried by a court not inferior to the Magistrate of first class.</p>
Composition of Offences	<p>23. (1) Any offence made punishable by or under this Act may either before or after the institution of proceedings, be compounded by the Chief Executive officer or any officer authorized by him in that behalf by General or Special order on such terms, including any term as regards payment of a composition fee, as the Chief Executive officer or such officer may think fit.</p> <p>(2) Where an offence has been compounded, the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of the offence compounded.</p>
Members and officers to be public servants	<p>24. The Chairperson, every member and every officer of the Board shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).</p>
Sanction of prosecution	<p>25. No prosecution for any offence punishable under this Act shall be instituted except with the previous sanction of the Chairperson.</p>
Authentication of orders and documents	<p>26. All permissions, orders, decisions, notices and other documents of the Board shall be authenticated by the signature of the Chief Executive Officer or any other officer authorized by the Chief Executive Officer in this behalf.</p>
Suit and other proceedings	<p>27. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for, anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rules or regulations made there under.</p>
Term of members and chairperson	<p>28. The term of the chairperson and members of Board other than <i>ex-officio</i> members of the Board shall be three years :</p> <p>Provided that the Chairperson or a Member of the Board shall, notwithstanding the expiration of the term thereof shall continue to hold office till his/her successor enters upon the office.</p>

29. (1) Where the State Government is satisfied that the purposes for which the Board was established under this Act have been substantially achieved so as to render the continued existence of the Board in the opinion of the State Government unnecessary, the State Government may by notification in the *Gazette* declare that the Board shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification; and the Board shall be deemed to be dissolved accordingly.

Dissolution of
Board

(2) From the date referred to in sub-section (1),-

(a) all properties, funds and dues which are vested in, or releasable by the Board shall vest in or be reliable by the State Government;

(b) all lands placed at the disposal of the Board shall revert to the State Government;

(c) all liabilities which are enforceable against the Board shall be enforceable against the State Government.

(3) For the purpose of carrying out any development which has not been duly carried out by the Board and for the purpose of realizing properties, funds and dues referred to in clause (a) of sub-section (2) the functions of the Board shall be discharged by the State Government.

30. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, by order, make such provisions not inconsistent with this Act as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty:

Power to remove
difficulties

Provided that no such power shall be exercised after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

31. The provisions of this Act shall apply notwithstanding any thing to the contrary contained in any law of the State of Uttar Pradesh for the time being in force.

Overriding effect

Repeal and
saving

32. (1) Shri Kashi Vishwanath Special Area Development Board Varanasi Ordinance, 2018 is hereby repealed.

U.P. Ordinance
no. 9 of 2018

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance, referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sri Kashi Vishwanath Temple situated at the bank of holy river Ganga in District Varanasi is one of the important jyotirlinga of the twelve jyotirlingas of Lord Shiva due to which it is of international repute. It is also a special place of Uttar Pradesh State in the perspective of tourism. In view of the Mythological, Religious, Spiritual, Cultural significance of the areas related to it, extension or beautification of the accessible paths from Ganga river to the Temple Complex and related major routes and existing ancient temples to their lives intact, develop their reinvigorated strengthening ambitious scheme has been prepared by the State Government with the help of the Central Government. In order to maintain the continuous existence of the pilgrims, devotees, tourists in the available area marked in the map, after completing the development of infrastructure for quality and timely completion, it has been decided to make a law to provide for the establishment of Shri Kashi Vishwanath Special Area Development Board Varanasi to create, formulate, implement, regulate and maintain the Special Area under its jurisdiction for developing and maintaining the cultural, spiritual, mythological and architectural aesthetics in such area to promote tourism in consonance with the rich cultural heritage thereof.

Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Shri Kashi Vishwanath Special Area Development Board Varanasi Ordinance, 2018 (U.P. Ordinance no. 8, 2018) was promulgated by Governor on June 29, 2018.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 241 राजपत्र-(हिन्दी)-2018-(652)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 81 सा० विधायी-2018-(653)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

